



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/Mem/985

दिनांक 26.03.2026

प्रिय सदस्यों, नमस्कार!

सेवाओं के वितरण और उद्योग की पहलों को समर्थन देने से संबंधित परिचालन और प्रशासनिक लागतों में निरंतर वृद्धि को देखते हुए, सदस्यता शुल्क में संशोधन का मामला प्रशासन समिति (सीओए) की 381वीं बैठक में रखा गया था। उचित विचार-विमर्श के बाद, सीओए सदस्यों ने 1 अप्रैल 2026 से सदस्यता शुल्क संरचना में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कृपया ध्यान दें कि यह संशोधन 8 वर्षों के अंतराल के बाद किया जा रहा है, जिसके दौरान सदस्यता दरें अपरिवर्तित रहीं। प्रत्येक सदस्यता श्रेणी के लिए संशोधित शुल्क संरचना और दस्तावेज़ीकरण संबंधी आवश्यकताएँ नीचे विस्तार से दी गई हैं:

संशोधित शुल्क संरचना

निर्माता निर्यातक	
संशोधित स्लैब (औसत कुल कारोबार - 3 वर्ष)	शुल्क संरचना (₹.)
0- 2.5 करोड़	8,000
2.5 करोड़ - 10 करोड़	14,000
10 करोड़ - 50 करोड़	20,000
50 करोड़ - 100 करोड़	25,000
100 करोड़ - 250 करोड़	30,000
250 करोड़ - 500 करोड़	50,000
500 करोड़ से ऊपर	60,000

व्यापारी निर्यातक	
संशोधित स्लैब (औसत प्लास्टिक निर्यात कारोबार - 3 वर्ष)	शुल्क संरचना (₹.)
0- 2.5 करोड़	8,000
2.5 करोड़ - 10 करोड़	14,000
10 करोड़ - 50 करोड़	20,000
50 करोड़ - 100 करोड़	25,000
100 करोड़ - 250 करोड़	30,000
250 करोड़ - 500 करोड़	50,000
500 करोड़ से ऊपर	60,000

नोट: लागू जीएसटी के अनुसार।

निर्माता निर्यातक

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कुल बिक्री कारोबार (प्लास्टिक और गैर-प्लास्टिक उत्पादों की स्थानीय बिक्री और निर्यात दोनों सहित) को प्रमाणित करता हो।

व्यापारी निर्यातक

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्लास्टिक उत्पादों के औसत निर्यात को प्रमाणित करने वाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, आप परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या उन्हें ईमेल भेज सकते हैं।

क्षेत्र	टेलीफ़ोन	ईमेल
प्रधान कार्यालय-मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र)	+912240170000	cul दीप @ plexconsil.org / samit@plexconsil.org
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय – दिल्ली	+91011-42181298/ 26478821	sanjay@plexconsil.org / ashok@plexconsil.org / plexnr@plexconsil.org
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - चेन्नई	+914428292620	dayanidhi@plexconcil.org / plexsr@plexconcil.org
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय- कोलकाता	+913322834497	nilotpal@plexconcil.org

सदस्यता सह पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) के नवीनीकरण/नवीनीकरण के लिए <https://www.dgft.gov.in> पर लॉग इन करें।

श्रीबाश दासमोहप्तरा

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन: 02587694

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

डायनेस्टी बिजनेस पार्क, बी विंग, भूतल

[अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व](#)

[मुंबई - 400 059 - भारत](#)

फ़ोन: +91 22 40170000

वेबसाइट: www.plexconcil.org